



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-61

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 268445 दिनांक 24/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Ashok Saini S/o CHHOTE LAL	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद	56	266.46 SQ. YARD	Cooperative	KALYAN NAGAR (HAJYAWAL A) Sector/Block-	Sub Division and Reconstit ution	बाढ़ बागपुरा गृ.नि.स.स. की योजना कल्याण नगर के भूखण्ड संख्या 56 क्षेत्रफल 266.46 व0ग0 का पट्टा श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा उक्त भूखण्ड सम्पूर्ण क्षेत्रफल का बैचान दिनांक 29.10.2025 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से भूखण्ड संख्या 56 क्षेत्रफल 266.46 व0ग0 का बैचान श्रीमती भौरी देवी पत्नी श्री लादूराम को किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा उक्त भूखण्ड सम्पूर्ण क्षेत्रफल का बैचान दिनांक 20.11.2025 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से भूखण्ड संख्या 56 क्षेत्रफल 266.46 व0ग0 में से भूखण्ड संख्या 56 (साउथ पार्ट) क्षेत्रफल 133.20 व0ग0 का बैचान आवेदक श्री अशोक सैनी पुत्र श्री छोटे लाल को किया गया।
---	-------------------------------------	---	----	--------------------	-------------	---	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ashok Saini S/o CHHOTE LAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।